



भोपाल विकास योजना 2005



संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश

भोपाल विकास योजना 2005

म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश.

भोपाल विकास योजना 2005 (प्रारूप) का प्रकाशन आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23(2) सह पठित धारा 18(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 17-10-1994 को किया गया। नागरिकों को प्रारूप योजना के प्रस्तावों को समझाने के लिए संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल, नगर निगम भोपाल एवं आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के कार्यालयों में दिनांक 17-10-94 से 15-11-94 तक प्रदर्शित किया गया। प्रारूप योजना पर कुल 1216 आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए। जन सामान्य संस्थाओं, शासकीय विभागों एवं अन्य संगठनों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई संचालक एवं अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा की गयी।

सभी आपत्तियों/सुझावों पर समुचित विचार उपरान्त संशोधित योजना राज्य शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

प्रस्तुत भोपाल विकास योजना राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत, अधिसूचना क्रमांक 3773-32-95, दिनांक 9 जून 1995, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 273, दिनांक 9 जून 1995 में प्रकाशित हुई है, अनुमोदित की गयी है।

भोपाल विकास योजना 2005 अधिनियम, की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन उक्त अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 9 जून 1995 से प्रभावशील की गयी है।

विषय-सूची

	पृष्ठ	
प्राक्कथन	(i)	
प्रस्तावना	(iii)	
नियोजन दल	(v)	
मानचित्रों की सूची	(vii)	
सारणी सूची	(ix-x)	
अध्याय-1	राज्य की राजधानी-भोपाल का नियोजना दृष्टिकोण	1-20
अध्याय-2	विकास परिदृश्य एवं प्रस्तावित नगरीय संरचना	21-42
अध्याय-3	प्रस्तावित यातायात प्रणाली एवं नगरीय अधोसंरचना	43-65
अध्याय-4	विकास नियमन	67-112
अध्याय-5	योजना क्रियान्वयन	113-123
	अनुसूची	125-137
	परिशिष्ट	139-145